न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- **रिद्धिमा शर्मा (जिला न्यायाधीश कैडर)**
सेशन प्रकरण सं.- **06/2019**
सी.एन.आर.नं. **RJAL010004182019**
सी.आई.एस. नम्बर- **23/2019**
सरकार बनाम 1. पवन कुमार पुत्र स्व० मदनलाल, निवासी सैंथली, पुलिस थाना सदर अलवर (राजस्थान)

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 341,323,307/34 भा.दं.सं.

उपस्थितः-

01. श्री महेश चंद मीना, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
02. श्री भूपसिंह पोसवाल, अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त।
03. श्री संजीव कारागवाल, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

-नि र्ण य- दिनांक- 06-08-2026

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से अभिययुक्त **पवन कुमार** के विरूद्ध अन्तरित होकर दिनांक 07-02-2019 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सीताराम ने दिनांक 21-10-2018 को पुलिस थाना सदर अलवर में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 19-10-2018 को सांय पांच बजे उसका लडका संदीप एवं पवन व पवन का साला दीपक तीनों एक मोटरसाईकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स पर बैठकर दशहरा देखने गये थे। उसका लडका संदीप रात को 9.00 बजे तक घर पर नहीं लौटा। संदीप के मोबाइल 9782082944 पर फोन किया तो फोन बंद मिला। उसके बडे लडके टीकम के मोबाइल पर किसी आदमी का फोन आया कि तेरा भाई संदीप बादल होटल के पास पडा हुआ है। उसके लडके संदीप की गम्भीर हालत होने के कारण सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां से रेफर कर सानिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और वहां से संदीप को एस.एम.एस. जयपुर के लिये रेफर कर दिया गया और वहां पर इमरजेंसी वार्ड नं.13 बेड नम्बर 3 पर भर्ती है। पवन व दीपक ने उसके बच्चे को जान से मारने की नियत से

गला रेता था, उसका बच्चा सीरियस हालत में भर्ती है.....इत्यादि।

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 590/2018 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307/34 भा.दं.सं. के अपराध में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण यह प्रकरण सेशन न्यायाधीश अलवर को उपार्पित किया गया। जहाँ से कालांतर में विधिवत् सुनवाई हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. अभियुक्त को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 341, 323, 323/34, 307, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही

05. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाह पेश कर परीक्षित करवाये गये-

क्र.सं.	पी.डब्ल्यू. संख्या	गवाह का नाम
1.	पी.डब्ल्यू.-1	आस मौहम्मद
2.	पी.डब्ल्यू.-2	सीताराम
3.	पी.डब्ल्यू.-3	मिस्कीन
4.	पी.डब्ल्यू.-4	बाबू खां
5.	पी.डब्ल्यू.-5	सन्दीप
6.	पी.डब्ल्यू.-6	टेकचन्द
7.	पी.डब्ल्यू.-7	रहमू
8.	पी.डब्ल्यू.-8	जयनारायण
9.	पी.डब्ल्यू.-9	भूपसिंह चैची
10.	पी.डब्ल्यू.-10	डॉ० के.के. मीणा
11.	पी.डब्ल्यू.-11	कालूराम
12.	पी.डब्ल्यू.-12	रामचरण
13.	पी.डब्ल्यू.-13	रामनिवास मीणा

06. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये-

क्र.सं	प्रदर्श सं.	विवरण दस्तावेज
1-	प्रदर्श पी-1	घटनास्थल का नक्शा मौका
2-	प्रदर्श पी-2	फर्द जब्ती मजरूब संदीप की टी-शर्ट, बनियान एवं शर्ट
3-	प्रदर्श पी-3	तहरीरी रिपोर्ट
4-	प्रदर्श पी-4	चाक एफ.आई.आर.
5-	प्रदर्श पी-5	पुलिस बयान मजरूब संदीप
6-	प्रदर्श पी-6	चोट प्रतिवेदन मजरूब संदीप
7-	प्रदर्श पी-7	फर्द बरामदगी नक्शा मौका
8-	प्रदर्श पी-8	फर्द तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका
9-	प्रदर्श पी-9	एक्स-रे रिपोर्ट संदीप
10-	प्रदर्श पी-9	एफ.एस.एल.प्राप्ति रसीद
11-	प्रदर्श पी-10	चोट के संबंध में राय
12-	प्रदर्श पी-11	फर्द गिरफतारी अभियुक्त पवन कुमार
13-	प्रदर्श पी-12	अभियुक्त पवन द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि० सूचना
14-	प्रदर्श पी-13	अभियुक्त पवन द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि० सूचना
15-	प्रदर्श पी-14	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हीरो नम्बर आर.जे.02 बी बी 1590
16-	प्रदर्श पी-15	एक्स-रे प्लेट मजरूब संदीप
17-	प्रदर्श पी-16	फोटो मजरूब संदीप
18-	प्रदर्श पी-17	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
19-	प्रदर्श पी-18	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
20-	प्रदर्श पी-19	मालखाना रजिस्टर की प्रति
21-	आर्टिकल-1	चाकू
22-	आर्टिकल-2	मजरूब के खून लगे कपडे टी-शर्ट, शर्ट, बनियान

07. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त के अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया बचाव पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

08. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

(1) क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 19-10-2018 को सांयकाल करीब 6.00 बजे के पश्चात चिरखाना से पहले बिजली पॉवर हाउस के सामने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर मजरूब संदीप का सदोष अवरोध कर उसके साथ स्वेच्छया पूर्वक कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं आहत सन्दीप के साथ धारदार हथियार चाकू से गला काट कर प्राण घातक चोट कारित की, जिससे यदि सन्दीप की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी होता और मजरूब संदीप की हत्या करने का प्रयत्न किया गया ?

(2) यदि हाँ तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा?

09. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

10. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा आहत के साथ किसी प्रकार की कोई चोट कारित नहीं की गई है। अभियुक्त की आहत से किसी प्रकार की कोई रंजिश या दुश्मनी रही हो, यह भी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार आहत के गले में गम्भीर प्रकृति की चोट होना बताया गया है और आहत का उस चोट के कारण बोलना नहीं बताया गया है तथा आहत द्वारा कागज पर लिखकर अभियुक्त द्वारा चोट कारित करना बताया गया है, लेकिन वह कागज अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला संदेहप्रद हो जाता है। अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ है, जिसकी साक्ष्य के अभाव में उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध किया गया अनुसंधान साबित नहीं होने से सम्पूर्ण मामला दूषित हो जाता है। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई

मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

11. उभय पक्षों को तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

12. प्रकरण के मजरूब पी.डब्ल्यू-5 सन्दीप का कथन है कि वह एक मेडिकल की दुकान पर काम करते हैं और घटना वाले दिन वह अपने दोस्त पवन और दीपक के साथ दशहरा देखने गए थे और रात को करीब 10.00 बजे लौटते समय बादल होटल से पहले चिरखाना बस स्टैंड के पास उन दोनों ने एकदम से मोटरसाइकिल रोक ली और उसके बाद गवाह को झाड़ियों में गिरा दिया। इन दोनों के पास चाकू था और उन्होंने चाकू से उल्टे हाथ की तरफ सीने पर तथा बाईं तरफ कनपटी पर चाकू से वार किए और जिसके बाद दोनों ने चाकू से गवाह का गला काट दिया और उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर गवाह वहाँ पड़ा रहा लेकिन उसके पास कोई नहीं आया जिसके बाद वह धीरे-धीरे पैदल अपनी शर्ट को गले में बांधकर बादल होटल पहुंचा और वहाँ के लोगों को घटना के बारे में लिखकर बताया क्योंकि कला कटने से वह बोल नहीं पा रहा था। होटल वालों ने गवाह के भाई टेकचंद को फ़ोन किया जिसके बाद घरवाले आए और सरकारी अस्पताल ले गए, जहाँ से गवाह को रेफर कर दिया और कुछ देर गवाह का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराने के बाद उसे एसएमएस जयपुर ले गए। यह घटना पवन की पत्नी से फ़ोन पर बात करने के शक के कारण की थी। गवाहने हाजिर अदालत मुल्जिम को भी पहचाना और पुलिस को स्वयं लिखकर घटना की सारी जानकारी दी तथा प्रदर्श पी-5 व प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और प्रदर्श पी-5 स्वयं के द्वारा लिखा जाना बताया है।

13. प्रतिपरीक्षण में गवाह ने बताया कि पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी और दोनों गवाह की ही बिरादरी के हैं, लेकिन दीपक उसके गांव का नहीं है। पवन का घर गवाह के घर से दूर है और इससे पहले आपस में कोई झगड़ा या मुकदमा नहीं है। प्रदर्श पी-3 रिपोर्ट गवाह की हस्तलिखित नहीं है और गवाह ने अपने पिता को बोलकर यह लिखकर घटना के बारे में नहीं बताया था। दिनांक 03-11-2018 से

पहले गवाह ने अपने साथ हुई घटना के बारे में अस्पताल में लिखकर दिया था जो पुलिस वालों को दिया था, परंतु ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। दिनांक 19-10-2018 को गवाह बारहवीं में पढ़ता था और लगभग 26 तारीख के आसपास उसका मेडिकल मुआयना हुआ था, जिसमें गवाह स्वयं बेहोश था। गवाह का गला चाकू से काटा गया था जिसे वह पहचान सकता है जिसका हत्था प्लास्टिक का था, रंग नारंगी था। घटना के बाद गवाह ने चाकू नहीं देखा। दोनों मुलजिमान के पास चाकू था। दोनों ने गवाह के गले पर चाकू लगाया था और उस समय गवाह ने अपना गला हाथ से दबा दिया था। गवाह द्वारा दी गई टी-शर्ट और बनियान गवाह के समक्ष न्यायालय में नहीं आई, लेकिन वह टी-शर्ट दोनों बाजू से चाकू से कटी हुई नहीं थी। दशहरे के मेले में करीब तीन-चार घंटे रहे थे वहाँ तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। घटनास्थल हाईवे है, जहाँ लोग आते-जाते हैं और तीनों में से किसी ने शराब भी नहीं पी थी। गवाह स्वयं बादल होटल पर चलकर गया था और उसके मालिक मिस्कीन को लिख कर दिया था, घटना के बारे में। पुलिस को बयान लिखकर देते समय गवाह होश में था और एसएमएस जयपुर से इलाज के बाद एक-दो तारीख को घर आया था जो ग्यारहवीं महीने की थी। घर आने के बाद सानिया अस्पताल में करीब चार-पांच दिन गवाह रहा। घटना वाले दिन ही केवल सरकारी अस्पताल अलवर में भर्ती रहा था और घटना के आठ-नौ दिन बाद होश में था इस बीच में पुलिस आई हो तो उसे पता नहीं। गवाह के घर, सानिया अस्पताल या सरकारी अस्पताल में पुलिस आई या नहीं गवाह को नहीं पता।

14. प्रकरण की शिकायतकर्ता सीताराम पी.डब्ल्यू-2 मजरूब के पिता भी हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसके दो लडके हैं। बडे लडके का नाम टेकचंद व छोटे का नाम संदीप है। 2018 की 19 तारीख की घटना है, महीना उसे याद नहीं है। उस दिन दशहरा का त्यौहार था। उसके लडके संदीप को उसके दोस्त पवन व पवन का साला दीपक दशहरा दिखाने की बात कह कर अपने साथ डीलक्स मोटरसाईकिल नम्बर-आरजे 02-1590 पर बैठा कर ले गये थे। तीनों एक ही मोटरसाईकिल पर बैठकर गये थे। रात्रि 09.00 बजे तक उसने बेटे संदीप का इंतजार किया। जब वह नहीं आया तो उसने अपनी बेटी

से संदीप के फोन पर फोन करवाया। वह फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर लगभग पौने दस बजे उसके बेटे टेकचंद के पास बादल ढाबा, चिरखाणा से फोन आया कि-तेरा भाई संदीप उनके होटल/ढाबे के सामने घायल अवस्था में पडा हुआ है, जिसका गला कटा हुआ है, उसे आप आकर ले जाओं। उसके बाद उसका बडा लडका टेकचंद तथा उसके छोटे भाई का लडका, उसके बेटे संदीप को लेकर अलवर अस्पताल आ गये। सरकारी अस्पताल वालों ने उसे नहीं लिया तो वे संदीप को लेकर सानिया अस्पताल पहुंच गये। जब उसे उसकी बच्ची ने इस बारे में फोन पर बताया तो वह सानिया अस्पताल अपने बेटे से मिलने पहुंच गया। सानिया अस्पताल में उसके बेटे संदीप की हालत बहुत नाजुक थी व उसका गला कटा हुआ था और सीने पर कंधे के नीचे चाकू जैसे धारदार हथियार से चोट थी तथा माथे पर व आंख के पास चोट थी, इस कारण उसको श्वासं लेने में तकलीफ हो रही थी। वह अपने बेटे से मिला। उस समय पुलिस भी आ गई थी। उस समय संदीप ने अपने हाथ से लिख कर दिया था कि-उसका गला चाकू से पवन व पवन के साले दीपक ने काटा है। उसके बेटे की हालत ज्यादा गंभीर हो गई तो उसे जयपुर एसएमएस, जयपुर के लिए रैफर कर दिया तथा उसका ईलाज वहां पर चला। अभियुक्तगण ने उसके बेटो को जान से मारने की नीयत से हमला किया था।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 2 सीताराम ने यह भी कथन किया है कि घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-4 है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक टी-शर्ट सफेद कत्थई रंग की, एक बनियान सफेद रंग की, एक शर्ट सफेद रंग की, जिस पर काले व अन्य रंग की धारियां थी, जिनकी फर्द जब्ती बनाई थी, जिनको उसके सामने ही सील मोहर किया गया था, जो प्रदर्श पी-2 है। उक्त फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्ष्य के दौरान न्यायालय में प्रकरण से संबंधित पैकेट नम्बर-5 अंकित एक कपडे की सील्ड अवस्था की कपडे की थैली को खोला गया, जिसमें एक सफेद कपडे की थैली, जिस पर मार्का-''ए'' एक टी-शर्ट कत्थई रंग की, एक बनियान सफेद, एक शर्ट सफेद रंग की अंकित है। साथ ही परिवादी सीताराम के हाथ मजरूब शरीर के खून आलूदा कपडे पेश किये, जिसमें दिनांक 22.10.2018 मुकदमा

नम्बर 590/2018 धारा 307, 34 भारतीय दण्ड संहिता थाना सदर अंकित है, जिसके अन्दर दो कपडे की थैली खुली हुई तथा मजरूब के कपडे रखे हुए हैं। आर्टिकल-1 एक सफेद बनियान, जो कटी हुई है, जिस पर कट के निशान दिखाई दे रहे हैं, आर्टिकल-2 एक कत्थई रंग की टी-शर्ट कटी हुई, जिस पर कट के निशान हैं एवं आर्टिकल-3 एक शर्ट पूरी बाजू की, जिस पर भी कट के निशान है। उक्त तीनों आर्टिकलों को देख कर गवाह ने अपेन बेटे संदीप की होना शिनाख्त किया तथा उक्त कपडों को स्वयं द्वारा अनुसंधान अधिकारी को पेश करना जाहिर किया है, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-2 है।

16. गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि घटना के वक्त अपने खेत पर था और मारपीट होते नहीं देखी, इसलिए वह नहीं जानता कि किसने कहा मारी। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गवाह ही गया था और किस्से लिखवाई उसे ध्यान नहीं है और उसमें क्या लिखा है यह भी पता नहीं है। घटना के तीसरे दिन रिपोर्ट करवाई थी और उस पर अपने हस्ताक्षर भी गवाह ने स्वीकार किए हैं और यह भी बताया कि वह केवल हस्ताक्षर करना जानता है तथा पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी जो रिपोर्ट के दिन ही की थी उसके बाद नहीं की। नक्शा मौके पर गवाह को लेकर गए थे लेकिन प्रदर्श पी-1 में क्या लिखा है उसे पढ़कर नहीं सुनाया केवल हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन पुलिस को गवाह ने बिजली घर बताया था और दूसरी तरफ क्या था वह भी बताया था। प्रदर्श पी-2 में क्या लिखा गवाह को पढ़कर नहीं सुनाया गया लेकिन कपड़े गवाह के सामने जब्त किए थे और सील किए थे।

17. गवाह पी.डब्ल्यू-6 टेकचंद, मजरूब संदीप का भाई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे दो भाई हैं। उसके छोटे भाई का नाम संदीप है। दिनांक 19.10.2018 को दशहरा का त्यौहार था। उस दिन रात करीब 9-10 बजे बादल होटल से बाबू का फोन आया, उसने कहा कि जल्दी से होटल पर आजा, तेरे भाई की गर्दन कटी हुई है और उससे बोला नहीं जा रहा है, जल्दी आजा। सुनते ही वह व उसके चाचा का लडका तुरन्त बादल होटल पहुंचे, वहां देखा कि उसके भाई संदीप की गर्दन कटी हुई थी और उससे बोला नहीं जा रहा था। संदीप ने कागज पर लिखा कि-उसे तुरन्त अस्पताल पहुंचाओ। फिर वे उसको सरकारी अस्पताल लेकर आ गये। वहां से उसको रैफर

कर दिया। वे उसे सानिया अस्पताल ले गये। वहां उसका इलाज कराया, वहां पुलिस आ गई। वहां भी संदीप से बोला नहीं जा रहा था। उसने एक कागज पर "पवन" और उसका साला दीपक ने उसकी गर्दन काट दी है," ऐसा लिख कर दिया। वहां से अस्पताल वालों ने उसे जयपुर रैफर कर दिया। फिर उन्होंने उसके भाई का जयपुर ईलाज करवाया। उसके भाई संदीप की गर्दन पवन व उसके साले दीपक ने काटी थी। मजरूब द्वारा वक्त घटना पहनी एक टी-शर्ट, एक बनियान व एक शर्ट सीताराम ने पुलिस को सुपुर्द किये थे, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-2 है, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं।

18. गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि वह बारहवीं तक पड़ा है और जब भाई के पास वह आया तब वह बोल नहीं पा रहा था और उसको अलवर से जयपुर लेकर गए तब भी उसे बोला नहीं जा रहा था। पुलिसवालों को जो कागज में लिखकर दिया वह कागज गवाह के पास नहीं है और वह सफेद रंग का कागज था जिस पर मुल्जिमानों के नाम लिखकर बताए थे और वही कागज पुलिस को भी गवाह ने दिया था और उसी के अनुसार वह बता रहा है कि पवन व दीपक ने गला काटा।

19. इसके अतिरिक्त प्रकरण के एक अन्य प्रमुख गवाह हैं जो पी.डब्ल्यू-3 मिस्कीन हैं, जो बादल होटल के स्वामी है और उसे लगभग 20-25 साल से चला रहे हैं। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया कि दशहरे वाले दिन 2018 रात को करीब 10.00 बजे के आसपास एक लड़का उनके होटल पर आया, जो खून से लथपथ था और जिसका गला कटा हुआ था। वह पड़ोसी गांव के सीताराम का बेटा संदीप था जो बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कागज पर लिखकर अपने भाई टेकचंद के नंबर दिए और फिर बाबू ने उन पर फ़ोन करके टेकचंद को वहाँ बुलाया और उसे अस्पताल लेकर गए।

20. गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कहा कि संदीप ने न तो घटना की जगह बताई ना ही किसी का नाम बताया और यह भी नहीं बताया कि उसके गले पर कैसे लगी। गवाह उसके पिता को जानता था क्योंकि वह उसके ढाबे पर आते-जाते थे लेकिन संदीप ने यह नहीं बताया कि किसने कैसे और कहा मारी।

21. गवाह पी.ड.4 बाबू खां भी होटल का गवाह है, जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि सन्-2018 को दशहरे के दिन के समय वह बादल होटल पर था। उसके साथ मिस्कीन व रहमू बैठे थे। रात को करीब 10.00 बजे एक लडका होटल पर आया, जो खून से लथपथ था और उसका गला कटा हुआ था। वह लडका उसके पडौसी गांव के सीताराम का बेटा संदीप था। जब वह लडका बोल रहा था तो उसके मुंह से आवाज नहीं आ पा रही थी। गले में से हवा बाहर आ रही थी, इसलिए वह ढंग से बोल नहीं पा रहा था। उसने उसके गले पर स्वाफी बांधी, जिससे खून रूक जाए। उसने उन्हें एक कागज पर उसके भाई टेकचंद के मोबाईल नम्बर लिख कर दिये थे। फिर उसने उन नम्बरों पर फोन किया तो उसका भाई टेकचंद आया और उसे लेकर अस्पताल चला गया।

22. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि संदीप ने यह नहीं बताया कि उसके गले में कैसे लगी और न ही मारने वालो का नाम बताया था।

23. गवाह पी.डब्ल्यू-1 आस मौहम्मद ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह ड्राइवर है और उसके पास एक ट्रक भी है, जिस पर पीड़ित का भाई टेक चंद चालक है। दिनांक 19-10-2018 को रात को टेकचंद का फ़ोन 10.00 बजे के करीब गवाह के पास आया, जिसने बताया कि उसके भाई संदीप का गला काट दिया है और जिसकी हालत खराब है और गवाह पैसे लेकर आ जाए, जिस पर गवाह पैसे लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचा और गवाह के साथ उसके चाचा का लड़का असलम भी था। जब अस्पताल पहुंचा तो अंदर टेकचंद मिला और संदीप इमरजेंसी में भर्ती था, जिसे देखने पर उसके गले की सांस की नली कटी हुई थी इस कारण वह बोल भी नहीं पा रहा था और उसके उलटे हाथ के पास घाव देखा और कान के पीछे भी घाव था। इसके बाद संदीप को जयपुर रेफर कर दिया जहाँ ले जाने से पहले उसे घटना के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वे बोल नहीं पा रहा था इसलिए उसने खुद के हाथ पर मुल्जिम पवन व दीपक का नाम लेकर यह बताने का प्रयास किया कि उन्होंने उसका गला काटा है। गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-1, फर्द जब्ती टी-शर्ट और बनियान सफेद रंग तथा एक काली शर्ट हरी धारियों वाली कि फर्द प्रदर्श पी-2 की पुष्टि की है।

24. गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसने मारपीट होते नहीं देखी। गवाह नक्शा में समझता है, जो घटना के तीसरे दिन बनाया था और गवाह को पढ़कर सुनाया था। वहाँ आसपास रिहायशी मकान नहीं है थोड़ी दूरी पर ढाबा और ग्रीन गार्डन तथा बिजलीघर था। पुलिस ने कपड़े गवाह के सामने ही जब्त किए थे जो चौथे दिन जब्त किए थे।

25. गवाह पी.डब्ल्यू-7 रहमू भी स्वतंत्र गवाह है, जिसका यह कथन है कि दशहरे वाले दिन वह बादल होटल पर बैठकर टी.वी. देख रहा था और रात के 10.00 बजे होटल के मालिक ने उसे आवाज दी है और कहा कि एक लड़के के खून लगा हुआ है जिसे जाकर देखा तो वह संदीप नाम का लड़का था, जिसके गले से खून निकल रहा था और टी-शर्ट पर भी खून आ गया था और उसका नाम उसी दिन पता नहीं था। बादल होटल के मालिक मिस्कीन को उस लड़के ने लिखकर कहा कि उसे अस्पताल पहुँचाए, जिस पर मिस्कीन ने उसके भाई को फ़ोन पर बुलाया जिसने आकर उसे अस्पताल पहुंचाया।

26. गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह संदीप को पहले से नहीं जानता था वह तो उस दिन किशनगढ़ से आ रहा था और बस स्टेंड वहाँ पास में होने से होटल पर रुका था और उसके साथ चार से पांच आदमी थे। पीड़ित से गवाह की कोई बात नहीं हुई ना ही उसने गवाह को कुछ बताया न गवाह ने किसी को फ़ोन लगाया। बाबू नाम के आदमी ने उसके भाई को फ़ोन लगाया था और पुलिस बयान में लिखा नाम मिस्कीन गलत है। गवाह करीब एक घंटे वहाँ रुका था।

27. गवाहान पी.डब्ल्यू-8 जयनारायण और पी.डब्ल्यू-9 भूपसिंह की मौजूदगी में अभियुक्त से उसकी इत्तिला अनुसार एक चाकू बरामद किया गया, जिसकी फर्द बनाई गई और बरामदगी स्थल का नक्शा बनाया गया और प्रदर्श पी-6, प्रदर्श पी-7 व प्रदर्श पी-8 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

28. गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह चाकू हाजिर अदालत नहीं था और उसे घटना वाले दिन ही जब्त किया था लेकिन आगे कहा कि उसे जानकारी नहीं है कि घटना वाले दिन बरामद किया गया या नहीं। प्रदर्श पी-6 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं और मकान पवन का ही हो इस संबंध में उसके माता पिता या भाई

बहन या रिश्तेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं। चाकू जिस दिन बरामद हुआ उसी दिन बरामदगी का नक्शा बनाया गया था और प्रदर्श पी-7 पर अभियुक्त के पड़ोसी या मुलजिम के किसी रिश्तेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं और मकान का मालिक अभियुक्त था, इसके भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

29. अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सकीय साक्ष्य में गवाह पी.ड.10 डॉक्टर के.के. मीणा को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.10.2018 को वह सामान्य चिकित्सालय, अलवर में मेडीकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस तहरीर पर मजरूब संदीप की चोटों का मेडीकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर कुल चार चोटें पाई गयी थी, जिनमें से-

चोट सं.1 गर्दन पर दांहिनी तरफ 8 सेमी. का टांके लगा हुआ घाव था, जो कि बगल से मध्य की तरफ कारित था एवं तिरछा

चोट संख्या-2 गले में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब गली हुई थी,

चोट संख्या-3 छाती पर बांई तरफ 2 x 1 सेमी. का कुचला हुआ घाव था।

चोट संख्या-4 दांहिने गाल पर 3 सेमी की खरोंच थी।

30. चोट संख्या-3 व 4 कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या-4 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट संख्या-3 बाबत् राय सुरक्षित रखी गई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 है तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है। ईएनटी स्पेशलिस्ट को रैफर किए जाने हेतु प्रपत्र प्रदर्श पी-10 है, जिसकी पुश्त पर ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय उपरांत उसने राय दी है, जिसके अनुसार मजरूब का ट्रेकिया कटना पाया गया एवं उसकी जनरल कंडीशन सामान्य नहीं थी तथा चोट संख्या-1 को मानव जीवन के लिए प्राण घातक माना गया था तथा चोट संख्या-3 साधारण प्रकृति की पाई गयी थी।

31. गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यदि कोई धारदार किसी औजार पर कोई व्यक्ति गर्दन के बल गिर जावे तो प्रदर्श पी-6 में अंकित चोट सं.1 के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रदर्श पी-10 में वर्णित राय के अलावा अलग से कोई ईएनटी की रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है।

32. गवाह पी.डब्ल्यू-11 कालूराम द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा गया और प्रतिपरीक्षण में बताया कि पुलिस ने क्या बनाया उसे जानकारी नहीं है, उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए थे और न ही घटना के बारे में उसे कोई जानकारी है।

33. गवाह पी.डब्ल्यू-12 रामचरण द्वारा दिनांक 28-11-2018 को इस प्रकरण में जब्त शीलशुदा माल को एफएसएल में जमा कराया गया जिसकी रसीद प्रदर्श पी-9 प्राप्त कर उसने मालखाना इंचार्ज को दी। अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने बताया कि सीलशुदा पैकेट में क्या था उसे जानकारी नहीं है, और प्रदर्श पी-9 पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

34. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री अतरसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण की चार्जशीट न्यायालय में जमा करने वाले थानाधिकारी रामनिवास मीणा के बयान लेखबद्ध कराए गए जिनके अधीन अतर सिंह जी द्वारा अनुसंधान किया गया और जो उनके साथ रहने के चलते सभी हस्ताक्षरों को भी पहचानते हैं।

35. गवाह पी.ड.13 रामनिवास मीणा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.01.2018 को वह थाना-सदर में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन परिवादी सीताराम द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 प्रस्तुत की, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-4 है। दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी अतरसिंह ने गवाहान के कथनानुसार बयान लेखबद्व किये, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 तैयार किया, फर्द जब्ती एक टी-शर्ट प्रदर्श पी-2 है। पर्चा व हस्तलिखित बयान संदीप प्रदर्श पी-5 है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 है तथा संदीप की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-15 है। एफएसएल में माल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी-9ए है। एफएसएल रिपोर्ट बाबत् टी-शर्ट, बनियान, शर्ट व चाकू प्रदर्श पी-17 व प्रदर्श पी-18 है। अभियुक्त पवन को अनुसंधान अधिकारी अतरसिंह ने जरिये फर्द प्रदर्श पी-11 गिरफ्तार किया, अभियुक्त पवन द्वारा इत्तिला प्रदर्श पी-12 के मुताबिक घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी-8 तैयार किया। अभियुक्त संदीप द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी-13 के मुताबिक जरिए फर्द प्रदर्श पी-6 चाकू बरामद किया तथा बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 है। अभियुक्त पवन ने

घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नम्बर-आरजे 02 बीवी-1590 जरिये फर्द प्रदर्श पी-14 जब्त की थी। मजरूब संदीप के चोट लगने बाबत् फोटो तैयार कर शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी-16 है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-19 है तथा उसकी प्रति प्रदर्श पी-19 ए है। गवाह ने उक्त फर्दात पर अनुसंधान अधिकारी अतरसिंह के हस्ताक्षर होना कहा है और जिनको अपने साथ काम करने से पहचानना बताया है। गवाह ने यह भी साक्ष्य दी है कि अनुसंधान अधिकारी अतरसिंह द्वारा अपने अनुसंधान से अभियुक्तगण दीपक कुमार व पवन कुमार के विरूद्व धारा 307, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली बाद अनुसंधान उसके समक्ष पेश की, जिसमें उसके द्वारा चार्जशीट नम्बर-523/18 उक्त अपराधों में न्यायालय में पेश की है।

36. गवाह पी.ड.13 रामनिवास मीणा ने यह भी कथन किया है कि न्यायालय में सीलबंद माल को खोला गया जिसमें सीलबंद अवस्था में मु.नं.590/2018 में एक सफेद कपडे की थैली में एक चाकू निकला जो अभियुक्त पवन से बरामद हुआ था, जो खून आलूदा है, जिसके फल व हत्थे पर खून लगा है और अन्दर की ओर बंद होता है। जिसकी कुल लम्बाई 16 सेमी. व फल की लम्बाई 7 सेमी. तथा हत्थे की लम्बाई 8 सेमी. है, जिस पर आर्टिकल-1 डाला गया। एक चाकू लोहे का रंग सफेद 2 टुकडों में जिसके फल वाले टुकडे पर खून के धब्बे, जो बाल अपचारी दीपक से बरामद हुआ था, जिसके विरूद्व चालान किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था, जिसकी फर्द जब्ती उसके चालान के साथ पेश की गई है। खून आलूदा कपडे, एक टी-शर्ट रंग सफेद एडिडास कम्पनी की जो सामने से कटी हुई है। टी-शर्ट, एक बनियान सफेद रंग की जिनके आगे-पीछे खून लगा हुआ है, एक शर्ट सफेद रंग की जिसके बटन पर चाकू से कट लगा हुआ है, शर्ट पर कॉलर के पीछे सामने बांई बाजू पर जगह-जगह खून लगा हुआ है, जिन पर आर्टिकल-2 डाला गया।

37. अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कहा कि उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया केवल चार्जशीट पेश की गई थी। अनुसंधान अतर सिंह द्वारा किया गया था। प्रकरण में आरोपी के कोई कपड़े जब्त नहीं किए गए। दो अभियुक्त इस अपराध में शामिल होना पाया गया तथा मोटरसाइकिल किसके नाम थी इस संबंध में दस्तावेज पत्रावली पर

नहीं है ना ही इसके इंश्योरेंस के बारे में कोई जानकारी है। गवाह अभियुक्त के घर नहीं गया उसके घर कौन-कौन रहते थे, गवाह को नहीं पता क्योंकि अनुसंधान अतर सिंह ने किया था। फर्द गिरफ्तारी और जब्ती में 15 मिनट का अंतर है और घटनास्थल से अलवर 15 मिनट दूर हो तो गवाह नहीं बता सकता। अभियुक्त को टेलको चौराहे पर घूमता हुआ गिरफ्तार किया था। एफएसएल भेजने हेतु पीड़ित का खून अलग लिया था, जो मेडिकल ऑफिसर ने लिया था परंतु इस बात का कोई पत्र पत्रावली पर नहीं है। गवाह ने चाकू के संबंध में यह कथन किया कि ऐसा चाकू बाजार में आसानी से मिल जाता है और मजरूब के कपड़े मजरुब ने नहीं दिए थे, जहाँ से चाकू बरामद किया उस स्थान बाबत दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है और जब्त किए गए सारे कपड़े मजरूब के ही थे।

38. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष जो तथ्य आया है, वह यह है कि दिनांक 19-10-2018 को संदीप नामक व्यक्ति आहत हुआ और उसके चोटों का प्रमाण मेडिकल विशेषज्ञ की राय चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर प्रदर्शित है। मेडिकल विशेषज्ञ की राय के अनुसार उसके गले की ट्रेकिया कट गई थी जो कि धारदार हथियार से, जिस पर ईएनटी अर्थात मेडिकल विशेषज्ञ की राय भी ली गई और यह सामान्य स्थिति नहीं थी, इसलिए इस चोट को प्राण घातक माना गया। पीड़ित के गर्दन पर आई चोट के अलावा छाती, दाहिने गाल पर भी कुचला हुआ घाव और खरोंच के निशान थे। पीड़ित द्वारा स्वयं इन्हीं चोटों का उल्लेख किया गया है और उसके पिता, भाई तथा बादल ढाबे पर बैठे वहाँ के मालिक व अन्य लोगों द्वारा भी एकरूपता से यही कथन किया गया है कि पीड़ित के गले में से खून निकल रहा था और वह बोल नहीं पा रहा था और उसके कपड़े भी खून में सन गए थे। अतः यह सुस्थापित हो जाता है कि पीड़ित के विभिन्न प्रकार की चोटें कारित की गई और जो जानलेवा भी थी तथा धारदार हथियार से भी कारित थी।

39. स्वयं पीड़ित सन्दीप द्वारा यह बताया गया है कि पवन और दीपक नामक दो लड़के उसके साथ गए थे और लौटते हुए उन्होंने अंधेरे में झाड़ी में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसका गला

काट दिया। ऊपर किए गए विवेचन में गला काटे जाने का तथ्य प्रमाणित हुआ है और पीड़ित के खून आलूदा कपड़े भी जब्त किए गए हैं, जिनको एफएसएल में जांच हेतु भी भेजा गया है। इसके उपरांत अभियुक्तगण से चाकू भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त दीपक की आयु कम होने से उसका विचारण पृथक से सक्षम बोर्ड के समक्ष चला और न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसके अनुसार उसे दोष सिद्ध भी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पवन से चाकू बरामद हुआ है और एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 के अनुसार टी-शर्ट, बनियान, शर्ट जो मजरूप संदीप की हैं, उन पर मानव रक्त मिला है जिसमें से दो पर "ए" ब्लड ग्रुप मिला है तथा इसके अलावा एक चाकू दो टुकड़ों में और एक चाकू साबुत मिला है जिसमें मानव रक्त मिला है और जिसमें से साबुत एक टुकड़े में "ए" ब्लड ग्रुप मिला है। फर्द जब्ती के अनुसार अभियुक्त पवन की इत्तिला पर उसके घर से एक चाकू बरामद हुआ, जिस पर मार्क "सी" डाला गया और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार यह वही चाकू है जिस पर मानव रक्त मिला है और जिसका ब्लड ग्रुप "ए" ही है। इसके अलावा प्रदर्श पी-18 के अनुसार "सी" चाकू पर जो रक्त मिला है वह संदीप की बनियान और शर्ट से प्राप्त रक्त के डीएनए से मेल खाता है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि संदीप का खून पवन के घर में से बरामद चाकू पर किस प्रकार आया, केवल यह सुझाव दिए गए हैं कि पवन के मकान के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए या उसके घरवालों के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए, परंतु उससे यह तथ्य खंडित नहीं होता कि पवन के कब्जेशुदा परिसर में से उसने स्वयं अपनी इत्तिला पर एक ऐसा चाकू बरामद करवाया जिस पर संदीप का रक्त मौजूद था और यह बरामदगी घटना के लगभग पांच दिन बाद हुई है, ऐसे में पवन के घर संदीप के रक्त से सना हुआ चाकू कोई भी क्यों लाकर रखेगा ऐसा भी कुछ तथ्य बचाव पक्ष सामने नहीं ला पाया है। संदीप और पवन का घर आसपास में नहीं है यह स्वयं बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव में प्रतिपरीक्षण में सामने आया है।

40. इसके अलावा पवन के घटना के दिन कहीं और होने जैसा कोई तथ्य भी बचाव पक्ष सामने नहीं लाया है, बल्कि इसके विपरीत बचाव पक्ष ने जो सुझाव चोट के संबंध में संदीप और उसके भाई व अन्य

गवाहों को दिए हैं वह विरोधाभासी हैं, क्योंकि संदीप को यह सुझाव दिया गया कि मोटरसाइकिल पर गिरने से उसके चोट आई जबकि उसके भाई को यह सुझाव दिया गया कि किसी भी नुकीली चीज़ पर उसका भाई मोटरसाइकिल से गिरा हो जिससे चोट आई। जबकि स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू-7 रहमू को यह सुझाव दिया गया कि संदीप का गला किसने काटा यह उसे नहीं पता और संदीप के पिता को चोट के संबंध में कोई सुझाव ही नहीं दिया गया।

41. यह तथ्य भी प्रमाणित है कि संदीप को अकेले ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और उस पर घातक हमला किया गया और उसके बाद संदीप द्वारा जो कहानी बताई गई उसकी भी गवाह प्रबलता से अखंडनीय साक्ष्य देते हैं कि वह बादल होटल तक पहुंचा जहाँ उसने लिखकर अपने भाई को बुलाया। स्वतंत्र गवाहों द्वारा भी यही कथन किया गया है, मौके पर ऐसा कोई धारदार या नुकीला पत्थर या कुछ और औजार नहीं मिला जिससे बचाव पक्ष की बात को थोड़ा भी बल मिलता हो।

42. केवल इस कारण के अनुसंधान अधिकारी की मृत्यु हो गई है उससे समस्त अनुसंधान दूषित नहीं हो जाता बल्कि सभी धारा 161 सीआरपीसी के गवाहों द्वारा न्यायालय में अखंडनीय साक्ष्य दी गई है तथा सभी फर्दों के गवाह सभी फर्दो की अखंडनीय पुष्टि करते हैं।

43. बचाव पक्ष द्वारा संदीप या उसके पिता को जो सुझाव दिए गए हैं, उसमें प्रमुखता से यह बात कही गई है कि रिपोर्ट कब लिखवाई, कैसे लिखवाई, संदीप ने कुछ लिखकर दिया तो वे पर्ची कहाँ हैं आदि परंतु इससे प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि सभी गवाह जो कि न केवल मजरूब के परिवारजन हैं बल्कि स्वतंत्र गवाह भी हैं उनके द्वारा भी घटनाक्रम की पूर्ण रूप से पुष्टि की गई है।

44. अभियोजन पक्ष की और से प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने मजरूब संदीप का सदोष अवरोध कर उसके साथ स्वेच्छया पूर्वक कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा मजरूब सन्दीप के साथ धारदार हथियार चाकू से गला काट कर प्राण घातक चोट कारित कर अभियुक्त ने मजरूब संदीप की हत्या करने का प्रयत्न किया।

45. अतः उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 307 भा.दं.सं. संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को उक्त आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(रिद्धिमा शर्मा)

सजा के बिन्दु पर सुना गया-

46. सजा के प्रश्न पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त काफी समय से अंवीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त नवयुवक है और गरीब व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में नरमी का रूख रखा जावे।

47. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त को कडा दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

48. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त पवन कुमार द्वारा मजरूब संदीप के साथ धारदार हथियार चाकू से गला काटने पर मजरूब संदीप की ट्रेकिया कट गई। अभियुक्त द्वारा मजरूब संदीप की हत्या कारित करने का प्रयास किया गया है। अतः अभियुक्त के द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त के निम्न प्रकार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आ दे श-

49. अतः अभियुक्त **पवन कुमार** पुत्र स्व० मदनलाल, निवासी सैंथली, पुलिस थाना सदर अलवर (राजस्थान) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 307 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया जाकर निम्न प्रकार दण्डित किया जाता है-

अभियुक्त को धारा 341 भा.दं.सं. के अपराध में एक माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध में एक साल का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण करावास भुगतेगा।

अभियुक्त को धारा 307 भा.दं.सं. के अपराध में दस साल का साधारण कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त साधारण करावास भुगतेगा।

सभी मूल सजाऐं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित होगीं। अभियुक्त के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी अदालत निरस्त किये जाते हैं तथा उसका सजा वारण्ट बनाया जावे।

प्रकरण में जब्तशुदा चाकू, कपडे आदि को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। नकल निर्णय अभियुक्त को निःशुल्क दिलायी गयी।

(रिद्धिमा शर्मा)

50. निर्णय आज दिनांक 06-08-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रिद्धिमा शर्मा)